

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 मार्च 2013—चैत्र 5, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-60-2005-1-पांच(5).—यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि किसी ऐसे व्यापारी द्वारा, जिसके कारबार का स्थान मध्यप्रदेश में हो, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के, उसके कारबार के स्थान से अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के अनुक्रम में 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की कालावधि के दौरान किए गए विक्रयों पर, उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे विक्रयों के उसके टर्नओवर पर देय कर के भुगतान की संगणना, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दर से, उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए की जाएगी. यह छूट, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) में अधिकथित अपेक्षाओं की पूर्ति कर दिए जाने के अध्वधीन रहते हुये होगी, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	माल का वर्ग	कर की दर	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्वधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पीतल, तांबे और कांसे की शीट, तथा सर्कल और एल्यूमीनियम स्क्रैप से विनिर्मित शीट और सर्कल.	1 प्रतिशत	-
2	सभी प्रकार के मोटर यानों में उपयोग में आने वाली सभी प्रकार की लीफ स्पिंग्स.	1 प्रतिशत	-
3	कॉपर वायर रॉड, कॉपर वायर बार और कॉपर कैथोड	1 प्रतिशत	-

(1)	(2)	(3)	(4)
4	मध्यप्रदेश राज्य में विनिर्मित क्वार्टन ब्लैक्स	-	जब माल का विक्रय भारत सरकार की टकसाल को किया जाए
5	मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की अनुसूची-2 के भाग-तीन और भाग-तीन क में विनिर्दिष्ट माल.	-	जब माल मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन पूर्व से ही कर के अधधीन हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-60-2005-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-60-2005-1-पांच (5), दिनांक 26 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th March 2013

No. F-A3-60-2005-1-V (5).—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, directs that the tax payable under the said Act by a dealer having a place of business in Madhya Pradesh, in respect of sales by him of the goods specified in column (2) of the Table below from any such place of business in the course of inter-state trade or commerce during the period from 1st April, 2013 to 31st March, 2014, shall be calculated at the rates specified in column (3) on his turnover of such sales, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Table. The exemption shall be subject to the fulfillment of the requirements laid down in sub-section (4) of Section 8 of the said Act, namely :—

TABLE

S.No.	Class of goods	Rate of Tax	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sheets and circles of brass, copper, kansa, and sheets and circles manufactured out of aluminum scrap.	1 percent	-
2	All kinds of leaf springs used in all kinds of motor vehicles.	1 percent	-
3	Copper wire rod, copper wire bar and copper cathode.	1 percent	-
4	Coin blanks manufactured in the State of Madhya Pradesh.	-	When the goods are sold to the mints of Government of India.
5	Goods specified in Part-III and Part-III A of Schedule-II of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002).	-	When goods have already been subjected to tax under the Madhya Pradesh Vat Act. 2002 (No. 20 of 2002).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl.Secy.